

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ्रेशर/2021/ 263

दिनांक: 17 नवम्बर, 2021

प्राचार्य,  
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय:- ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत

संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यु.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र.स.	नाम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1.	हेमराज सैनी	संस्कृत	राज.कन्या महा.बून्दी	रिफ्रेशर	22.11.2021 से 04.12.2021	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली
2	रूपा चौधरी	राज. विज्ञान	राज. कन्या महा. पीपलू टोंक	रिफ्रेशर	22.11.2021 से 06.12.2021	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
3	कृष्ण कुमार मोना	भौतिक शास्त्र	राज.कन्या महा. भीलवाडा	रिफ्रेशर	22.11.2021 से 06.12.2021	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
4	संतोष कुमार कुण्डारा	भौतिक शास्त्र	राज.पी.जी.महा. दौसा	रिफ्रेशर	06.12.2021 से 19.12.2021	सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात
5	विपुल कुमार परेवा	प्राणीशास्त्र	राज.पी.जी.महा. दौसा	रिफ्रेशर	06.12.2021 से 19.12.2021	सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात
6	एकता देवी	हिन्दी	राज.पी.जी.महा. नोहर, हनुमानगढ़	रिफ्रेशर	20.11.2021 से 04.12.2021	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
7	रविन्द्र कुमार	इतिहास	राज.महा.कोटपूतली	रिफ्रेशर	22.11.2021 से 04.12.2021	मुम्बई विश्वविद्यालय मुम्बई

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

  
(डॉ सौमित्र नाथ झा)  
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)